

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्याक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशवासित केरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैंड	ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल
1	रमेशचन्द गोठवाल प्रधानाचार्य, चौसला (नागौर)	05-02-63	30-01-97 Lect	29-01-17 20 Y	30-01-2017 II	15600-39100	6800
2	राम सहाय नुवाल प्रधानाचार्य उपरेड़ा- बनेड़ा (भीलवाड़ा)	29-06-65	02-07-90 Sr.T.	01-07-10 20 Y	02-07-10 II	9300-34800 II	4800 II
3	दाऊलाल सिगारिया प्रधानाचार्य खीमपुरा मसूदा(अजमेर)	10-11-58	19-11-96 Lect	18-11-16 20 Y	19-11-2016 II	15600-39100	6800
4	ममता यादव प्रधानाचार्य घण्डावा (झुझुनू)	30-07-71	12-02-97 Lect	11-02-17 20 Y	12-02-2017 II	15600-39100	6800
5	श्री प्रहलाद शर्मा प्राध्यापक, रा.उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर	20-03-62	20-03-97 Lect	19-03-17 20 Y	20-03-2017 II	15600-39100	6800

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक 16-01-19

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/बो-2/2017-18

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित संस्था प्रधान
3. संबंधित अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
5. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर